

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक F27()RDD-5/PMAY-G/PRAGARTI/2024-25-07898

जयपुर दिनांक :- 20.8.2024


—:: वी.सी. बैठक सूचना::—

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी एवं एमआईएस मेनेजर, जिला परिषद समस्त के साथ दिनांक 20.08.2024 को सांय 4.00 से 5.00 बजे तक (NIC के माध्यम से) समिति कक्ष, उत्तर-पश्चिम भवन, ग्रामीण विकास विभाग से वीसी बैठक आयोजित की जावेगी।

बैठक में एजेण्डा बिन्दुवार चर्चा प्रस्तावित है :-

1. योजनान्तर्गत आवास प्लस सूची में स्वीकृति से शेष रहे परिवारों की पात्रता की जांच /परीक्षण।
2. योजनान्तर्गत आवास प्लस सूची में अपलोड से शेष रहे पात्र परिवारों के सर्व से पूर्व तैयार हेतु ग्राम पंचायत स्तर के सर्वकर्ता का विवरण आवास प्लस पर पंजीकृत करना।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण / IAY/ CMBPL आवास योजना के अंतर्गत विवादित/बन्द पडे आवासों को write-off किये जाने के संबंध में।

उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर भाग लेने का श्रम करे।


(पी.के. रावत) 20/08/2024

सहायक राज्य नोडल अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्राविवि।
3. शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रशासन को बैठक व्यवस्था हेतु।
प्रभारी अधिकारी, NIC को उक्तानुसार वीसी स्लॉट बुक करने बाबत।